परीक्षा समिति की तृतीय बैठक दिनांक 14.03.2011 का कार्यवृत्त

उपस्थिति

1. डॉ0 विनय कुमार पाठक, कुलपति — अध्यक्ष
2. प्रो0 आर0सी0 मिश्र — सदस्य
3. प्रो0 एच0पी0 शुक्ल — सदस्य
4. प्रो0 अजय रावत — सदस्य
5. प्रो0 जे0के0 जोशी — सदस्य
6. प्रो0 एन0पी0 सिंह — सदस्य
7. श्री सुधीर चड्ढा — सदस्य
8. डॉ0 आर0के0 गुप्त, परीक्षा नियत्रक, — सदस्य सचिव

प्रो0एच0सी0 पोखरियाल, सदस्य, अन्यत्र व्यस्त होने के कारण बैठक में प्रतिभाग नही कर सके।

बैठक के आरम्भ में कुलपति एवं सचिव द्वारा समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए विश्वविद्यालय परीक्षा समिति के कार्य सम्पादन में दिए जा रहे सहयोग एवं मार्ग दर्शन के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया। तदुपरान्त बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गई।

कार्यवाही

मद संख्या 01– परीक्षा समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 1.10.2010 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त, यथापरिचालित, की पुष्टि की गयी।

मद संख्या 02– परीक्षा समिति की द्वितीय बैठक के कार्यवाहियों पर क्रियान्वयन सूचना।

समिति दिनांक 01.10.2010 के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही से अवगत हुई एवं कृत कार्यवाही पर सन्तोष व्यक्त किया गया।

मद संख्या 03

वर्ष 2006 से 2009 तक के अपूर्ण परीक्षाफलों पर विचारोपरान्त परीक्षाफल पूर्ण कर घोषित किये गये परीक्षाफलों की कार्यवाही पर कार्योत्तर स्वीकृति

आधार / गठित समिति के सुझाव

सत्रीय कार्य अथवा अन्य कारणों से वर्ष 2006 से 2009 तक की अवधि के अपूर्ण परीक्षाफलों को पूर्ण कर परीक्षाफल घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर विचार हेतु कुलपति जी के आदेशानुसार प्रो0 जे0के0 जोशी, प्रो0 एन0पी0 सिंह, डॉ0 आर0के0 गुप्ता तथा बी0सी0 जोशी की चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति ने इस प्रकरण पर विचारोपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव आवश्यक कार्यवाही हेतु दिया।

प्रथम समस्या के अन्तर्गत समिति के संज्ञान में लाया गया कि सत्रीय कार्य के कारण अधूरे परीक्षाफलों से सम्बन्धित सत्रीय कार्यों की संख्या सत्र 2006 से 2009 तक अनुमानतः 1300 से अधिक है। सम्भवतः कई ऐसे छात्र होंगे जिनके प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष तथा तृतीय वर्ष के सत्रीय कार्य के प्राप्तांक विश्वविद्यालय अभिलेखों में नही हैं।

दूसरी समस्या है कि विश्वविद्यालय अभिलेखों से यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि कौन विद्यार्थी किस अध्ययन केन्द्र से सम्बन्धित है। इसका कोई संरक्षित रिकार्ड वर्तमान में उपलब्ध नही है ऐसी सूचना समिति को परीक्षा विभाग द्वारा दी गयी है।

तीसरी समस्या है कि जिन छात्रों के परीक्षाफल उक्त स्थितियों में अधूरे हैं उनमें से कुछ के अध्ययन केन्द्र विश्वविद्यालय की सम्बद्धता से पृथक हो गये हैं।

अतः इस स्थिति में अनुमान लगाया जा सकता है कि जिन छात्रों ने सत्रीय कार्य अपने अध्ययन केन्द्रों को प्रस्तुत किए होंगे, अध्ययन केन्द्रों द्वारा इनके विषय में न तो विश्वविद्यालय को सूचित किया गया है और न उनके प्राप्तांक विश्वविद्यालय को भेजे गये होंगे। यह भी सम्भव है कि कई छात्र दूरस्थ शिक्षा कि इस प्रक्रिया से अनभिज्ञ होने के कारण हताश होकर शांत बैठ गये होंगे तथा अपनी समस्या से विश्वाविद्यालय को भी अवगत नही करा पा रहे होंगे। यदि इन स्थितियों में ऐसे केन्द्रों से वर्तमान में पत्र व्यवहार किया भी जाता है तो यह आवश्यक नही है कि वे विश्वविद्यालय के पत्राचार को गम्भीरता से लें तथा इसका उत्तर विश्वविद्यालय को भेजें इस प्रयास से और अधिक समय तक प्रक्रिया लम्बित रह जायेगी इससे कोई हल की सम्भावना नही लक्षित हो रही है। फिर भी क्षेत्रीय निदेशकों के माध्यम से अध्ययन केन्द्रों को एक स्मरण पत्र 15 दिन की समयावधि देकर इस आशय से भेज दिया जाय कि ऐसे छात्रों के सत्रीय कार्य शीघ्रातिशीघ्र विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाय।

इस समयावधि के उपरान्त जिन छात्रों के सत्रीय कार्य विश्वविद्यालय को नही प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार के प्रत्येक छात्र को उसकी लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का 1.2 प्रतिशत से गुणा करने के बाद प्राप्त अंकों के आधार पर सत्रीय कार्य में तदनुसार औसत अंक प्रदान कर परीक्षाफल पूर्ण करने के उपरान्त अंक तालिकायें भेज दी जाय।

इस प्रकार की विषम स्थितियों में वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा द्वारा कार्यालय आदेश संख्या VMOU/Acad/2007/3188 दिनांक 12.9.2007 द्वारा निर्णय लेकर लम्बित प्रकरणों पर कार्यवाही की गई है। अतः इसी तर्ज पर इस विश्वविद्यालय के इन लम्बित प्रकरणों

को भी निस्तारित करने के लिये समिति संस्तुति करती है। यह कार्यवाही कुलपति जी की स्वीकृति के उपरान्त परीक्षा समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में सम्पन्न कर दी जाय।

इस व्यवस्था की कार्यवाही आगामी सत्रों के लिए बतौर उदाहरण मान्य नही होगी। केवल सत्र 2006 से 2009 तक के लम्बित प्रकरणों के विद्यार्थी इस आदेश/कार्यवाही से प्रभावित होंगे।

समिति की संस्तुतियों पर कुलपति के अनुमोदन के उपरान्त परीक्षाफल पूर्ण कर लिये गये हैं। अतः परीक्षा समिति से अनुरोध है कि कृत कार्यवाही पर कार्येत्तर अनुमोदन प्रदान करने का कष्ट करें।

निर्णय :–

परीक्षा समिति द्वारा इस निमित्त गठित समिति की संस्तुतियों का अवलोकन किया तथा वर्णित परिस्थितियों में समिति की संस्तुति, जिन पर कुलपति द्वारा अनुमोदन प्रदान कर कार्यवाही की जा चुकी है, पर कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। समिति ने यह निर्देश दिया कि परीक्षा में सम्मिलित सभी परीक्षार्थियों का परीक्षाफल घोषित किया जाय क्योंकि पूर्ण अथवा अपूर्ण दोनों ही दशाओं में प्रत्येक परीक्षार्थी का परीक्षाफल घोषित किया जाना नियमानुसार आवश्यक है।

मद संख्या – 04

सर्टिफिकेट कोर्स इन टेक्नीकल एक्सीलेन्स के लिए अंकों के आवंटन पर कार्येत्तर स्वीकृति।

आधार / टिप्पणी

विश्वविद्यालय एवं स्मार्ट स्किल्स के मध्य हुए अनुबन्ध के आधार पर सर्टिफिकेट कोर्स इन टेक्नीकल एक्सीलेन्स पाठ्यक्रम आरम्भ किया गया। यह पाठ्यक्रम 6 माह की अवधि का है जिसमें विद्यार्थी 2 माह का अध्ययन करने के उपरान्त अवशेष 4 माह की अवधि औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रशिक्षण करते हैं। यह एक विशिष्ट प्रकरण का पाठ्यक्रम है अतएव इस हेतु अंकों का निर्धारण पृथक से किया जाना वांछित था। अतएव कुलपति महोदय के अनुमोदन के उपरान्त पाठ्यक्रम हेतु निम्न व्यवस्था की गई।

1. लिखित परीक्षा 60 अंक की होगी जिसमें एक प्रश्न–पत्र होगा, जिसमें 10 यूनिट सम्मिलित होंगी तथा प्रत्येक यूनिट के लिए 06 अंक तथा 02 प्रश्न रखे जायेंगे।
2. सत्रीय कार्य 40 अंक का होगा।
3. टाटा मोटर्स पर चल रहे व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए संतोषजनक अथवा असंतोषजनक मूल्यांकन किया जायेगा। संतोषजनक अवधारित किये जाने के लिए प्रत्येक प्रशिक्षु को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंकों का आधार होगा।
4. लिखित एवं प्रशिक्षण में अलग–अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा और लिखित अथवा प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण न करने वाले छात्रों को ऐसी स्थिति में उत्तीर्ण करने के लिए तीन अवसर और प्रदान किये जायेंगे।
5. चूंकि पाठ्यक्रम में कोई प्रयोगात्मक परीक्षा नहीं होनी है अतः प्रयोगात्मक परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं होगा।

निर्णय :–

परीक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव में उल्लिखित अंक विभाजन पर विचारोपरान्त कार्येत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए यह मत व्यक्त किया कि भविष्य में संचालित किये जाने वाले पाठ्यक्रमों के लिए आरम्भ में ही वांछित प्रकिया एवं व्यवस्था सक्षम स्तर से, अनुमोदित करा ली जाय।

मद संख्या – 5

एक सत्र में एक विद्यार्थी को एक पाठ्यक्रम से अधिक पाठ्यक्रमों में स्वीकृति न प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की संस्तुति पर विचार एवं अनुमोदन

आधार/समिति की संस्तुति

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार विद्यार्थियों को एक शैक्षिक वर्ष में (प्रमाणपत्र/सर्टिफिकेट) दो पाठ्यक्रमों में पंजीकरण की सुविधा दी गई है। व्यवहारिक रूप में यह पाया गया कि ऐसी अनुमति प्रदान किए जाने से न केवल परीक्षा संचालन में कठिनाई उत्पन्न हो रही है अपितु विद्यार्थी दोनों पाठ्यक्रमों में रूचि नहीं दर्शा रहे हैं। समस्या पर विचार हेतु कुलपति महोदय द्वारा समिति का गठन किया गया। समिति की संस्तुतियां निम्नवत हैं :–

समिति ने सर्वप्रथम इस बिन्दु पर पूर्व में प्रचलित इस व्यवस्था को कार्यरूप दिये गये बिन्दु पर विचार विमर्श किया। विचार विमर्श में यह संज्ञान लिया गया कि इस प्रथा को पूर्व में लागू करते समय व्यावहारिक तथा प्रायोगिक कठिनाईयों की जानकारी न होने के कारण इसे लागू किया गया। वर्तमान समय में इस व्यवस्था को यथावत लागू रखने पर निम्न अवरोध संज्ञान में लिये गये।

(अ) परीक्षाओं की अवधि अधिक दिनों की हो रही है।
(ब) इससे परीक्षाओं पर वास्तविक से ज्यादा व्यय की स्थिति आ रही है।
(स) यह व्यय दो या दो से अधिक पाठ्यक्रम लेने वाले विद्यार्थियों के परीक्षा शुल्क से बहुत अधिक आयेगा।
(द) महाविद्यालय/परीक्षा केन्द्रों से परीक्षा हेतु सहमति पर असहजता अनुभव की जा रही है।
(य) चूँकि विश्वविद्यालय को बतौर सहयोग विद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा यह परीक्षायें सम्पन्न करानी होती है।
(र) विद्यालय/महाविद्यालय अपने स्वंय के पठन-पाठन में इन परीक्षाओं के कारण उत्पन्न अवरोध के कारण विश्वविद्यालय को सहयोग करने में असहजता अनुभव करते हैं।
(ल) इन सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए विश्वविद्यालय को अपना परीक्षा कार्यक्रम केवल एक सत्र में निर्धारित करना पड़ता है, जिससे परीक्षा केन्द्रों का पठन-पाठन एवं अन्य कार्यवाहियां यथावत चलती रहे।
(व) एक से अधिक पाठ्यक्रम वाले विद्यार्थी बहुत कम होते हैं लेकिन परीक्षा कार्यक्रम व्यवस्था की दृष्टि से पूर्वाह्न/मध्याह्न/अपराह्न तीनों सत्रों में परीक्षा निर्धारित करनी पड़ती है, यह परीक्षा केन्द्र के लिए भी असहज स्थिति होती ही है कुछेक ऐसे विद्यार्थियों के कारण पूरे छात्रों पर इसका प्रभाव पड़ता है। यह व्यय एवं व्यवस्था की दृष्टि से सहज नहीं है।

अतः समिति का सुझाव है कि जिन छात्रों को ऐसी सुविधा विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य की जा चुकी है उसे उनके लिए यथावत रखते हुए नये सत्र एवं पाठ्यक्रम में प्रवेशार्थियों को एक समय में केवल एक पाठ्यक्रम की सुविधा अनुमन्य की जाय।

निर्णय :–

(क) परीक्षा समिति उक्त प्रस्ताव से सहमत हुई। इस सम्बन्ध में सिद्धान्ततः अनुमोदन प्रदान करते हुए समिति ने प्राप्त सुझाव पर निर्णय लिया कि उक्त प्रस्तावक समिति (प्रो0 एन0पी0 सिंह, डॉ0 आर0के0 गुप्ता, श्री जी0के0 सिंह) इस पर पुनर्विचार करें कि यदि उपाधि पाठ्यक्रमों तथा प्रमाण पत्र/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में एक साथ दो पाठ्यक्रमों पर व्यवस्था बन सकती है तो इस पर विचार कर सभी बिन्दुओं को संज्ञान में लेते हुए अपना प्रस्ताव आगामी परीक्षा समिति के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत करें।

(ख) सर्टिफिकेट/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की परीक्षायें ओ0एम0आर0 पद्धति पर सम्पन्न कराने की कार्यवाही हेतु यह समिति अध्ययन कर प्रस्ताव दे। इस पद्धति पर जिस पाठ्यक्रम में परीक्षा सम्पन्न होने में असुविधा का भान हो, वहां यह व्यवस्था किस स्तर तक सम्भव हो सकती है पर भी अध्ययनोपरान्त अपना सुझाव दे।

(ग) पाठ्यक्रम/विषय परिवर्तन करने हेतु विद्यार्थियों से प्राप्त प्रस्ताव प्रवेश लेने की अवधि से एक माह के अन्दर ही स्वीकार किये जांय। इसका उल्लेख विश्वविद्यालय द्वारा मुद्रणाधीन विवरणिका में अवश्य कर दिया जाय।

(घ) परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के सन्दर्भ में समिति ने सहमति दी कि प्रत्येक छात्र से परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में तीन स्थानों का क्रमानुसार अपना विकल्प परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित कराया जाय। जिससे केन्द्र निर्धारण में कठिनाई न हो।

मद संख्या – 06

परीक्षा संचालन में परीक्षकों/प्राश्निकों/अनुसीमकों की नियुक्ति पर विचार

आधार/टिप्पणी

विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश के अध्याय 4 में परीक्षकों, प्राश्निकों अनुसीमकों की नियुक्ति हेतु 5 वर्ष के अध्यापन/शैक्षणिक कार्य के अनुभव का प्राविधान है।

एक अन्य समस्या यह है डिप्लोमा/सर्टिफिकेट कि ऐसे ही अन्य पाठ्यक्रमों में योग्य व्यक्तियों का महाविद्यालयों से ही नियुक्त किया जाना सम्भव नहीं है। अतः प्रस्ताव है कि प्राश्निकों/परीक्षकों/अनुसीमकों को शासन द्वारा अनुमोदित संस्थाओं यथा–पालिटेक्निक/आई0टी0आई0/संस्कृत परिषद/प्राइवेट संस्थानों में उपलब्ध न्यूनतम 5 वर्ष के कार्यानुभव वाले व्यक्तियों को पाठ्य समिति द्वारा संस्तुत किया जा सकता है प्रायोगिक परीक्षा के लिए पाठ्य समिति द्वारा संस्तुत नामावली से एक केन्द्र पर एक परीक्षक की नियुक्ति की जाय।

ग्राम की प्रायोगिक परीक्षा के समय एक गाड़ी भी परीक्षक द्वारा तैयार की जाय, जिसका व्यय रसीद प्रस्तुत करने पर विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जाय लेकिन यह राशि रू0 1500/– से अधिक देय नहीं होगी।

निर्णय :–

उक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति देते हुये समिति के निम्न निर्णय लेकर इन पर कार्यवाही करने की सहमति दी।

(क) प्रत्येक पाठ्य समिति से कम से कम 50 परीक्षकों का एक पैनल बनाने । तुरन्त बाद अवश्य प्राप्त कर लिया जाय। प्रायोगिक परीक्षकों के पैनल पर यह विशेष ध्यान रखा जाय कि यह लोग निकटस्थ के हो तथा सहज रूप से आवश्यकता के अनुरूप विश्वविद्यालय को सहयोग हेतु उपलब्ध हो जाय।

(ख) प्रत्येक प्रायोगिक परीक्षा के लिये एक प्रश्न बैंक जो कम से कम 50 की संख्या में हो परीक्षकों / प्राध्यापको से पहले तैयार करा लिये जांय। प्रायोगिक परीक्षा के समय इस प्रश्नबैंक से बराबर संख्या के प्रश्नों की जितनी आवश्यकता हो, की प्रश्नावली बनाकर प्रायोगिक परीक्षकों को उसी आधार पर परीक्षा सम्पन्न कराने तथा उनका मूल्यांकन हेतु उपलब्ध कराई जाय।

(ग) सभी प्रायोगिक परीक्षाओं की रिकार्डिंग के अभिलेख योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा की ही तरह परीक्षा नियंत्रक के पास उपलब्ध होने चाहिए। प्रायोगिक परीक्षा के समय सभी रिकार्डिंग का उल्लेख विश्वविद्यालय की मुद्रणाधीन विवरणिका में किया जाय।

(घ) परीक्षाओं की उत्तर पुस्तकों को मूल्यांकन कराने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय में कार्यरत अनुभवी शैक्षिक परामर्शदाताओं को भी सम्मिलित किया जाय। समय एवं स्थितियों के अनुरूप शिथिलता प्रदान करने के सम्बन्ध में कुलपति को अधिकृत किया जाता है। इस हेतु वांछित प्रस्ताव अध्यादेश में सम्मिलित करने हेतु सम्बन्धित प्राधिकारियों के माध्यम से प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या –07

परीक्षा केन्द्रों के स्थापना हेतु मानक निर्धारित किये जाने पर विचार।

आधार / टिप्पणी

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षायें सरकारी / अर्धसरकारी महाविद्यालयों / विद्यालयों में आयोजित की जाती हैं जो सामान्यतः विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र भी होते हैं। उत्तराखण्ड राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर फलीकृत विद्यार्थियों द्वारा उन्हें निकटस्थ स्थान पर परीक्षा केन्द्र की सुविधा उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि परीक्षा केन्द्र स्थापित करने की दशा में परीक्षा सम्बन्धी सभी व्यवस्थाओं को किया जाना आवश्यक होता है; अतः यदि किसी स्थान पर अत्यन्त अल्प छात्र संख्या के होते हुए भी परीक्षा केन्द्र स्थापित किया जाय तो ऐसे केन्द्रो से विश्वविद्यालय को वित्तीय हानि होने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः सामान्य स्थिति में परीक्षा केन्द्र स्थापित करने हेतु निम्न मानक बनाया जाना प्रस्तावित है :–

1. विश्वविद्यालयीय परीक्षाओं के सम्पादनार्थ परीक्षा के लिये न्यूनतम 50 छात्रों की संख्या हो।
2. विश्वविद्यालयीय परिक्षेत्र के अन्तर्गत जो अध्ययन केन्द्र परीक्षायें सम्पन्न कराने में विश्वविद्यालय के मानकों के अनुरूप सक्षम हो उन्हें परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाय। लेकिन केन्द्र निर्धारण

के पूर्व ऐसे अध्ययन केन्द्रों का निरीक्षण विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा कराने के उपरान्त परीक्षा समिति की स्वीकृति के बाद परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जाय। विशेष परिस्थितियों में इस कार्यवाही के लिये कुलपति को अधिकृत किया जाता है। इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की सूचना आगामी बैठक में प्रस्तुत की जाय।

3. विश्वविद्यालयीय परिक्षेत्र के अन्तर्गत जो शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय/महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र हों अथवा अध्ययन केन्द्र न हों उनसे परीक्षा केन्द्र निर्धारण करने के सम्बन्ध में सहमति ली जाय।
4. विशेष परिस्थितियों में प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के भवन भी उनकी सम्पूर्ण [illegible] विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के लिये विश्वविद्यालय द्वारा लिये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को समय रहते ऐसे संस्थानों से अनुरोध करना होगा।
5. शासन को परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में सभी राजकीय विद्यालयों/महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय का परीक्षा केन्द्र घोषित करने हेतु अनुरोध किया जाय।

निर्णय :–

प्रस्ताव पर विचारोपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृत प्रदान की गई। समिति ने मत व्यक्त किया कि परीक्षा केन्द्रों के स्थापना में परीक्षार्थियों की सुविधा एवं परीक्षा संचालन में आने वाले व्ययभार को संज्ञान में लेते हुए निर्णय लिया जाना उचित होगा तथा बिन्दु नं0 5 पर कार्यवाही को गति देने के लिए परीक्षा नियंत्रक को अधिकृत किया गया।

मद संख्या :– 08

परीक्षा सम्पादन हेतु मानदेय निर्धारण के सम्बन्ध में पुनर्विचार

आधार/टिप्पणी

परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 1.10.2010 के प्रस्ताव संख्या 3 द्वारा परीक्षा संचालन हेतु देय पारिश्रमिक का विवरण प्रस्तुत किया गया था। इस मानदेय पर वर्तमान समय (2011 फरवरी/मार्च) की परीक्षाओं के सम्पादन में उत्पन्न कठिनाइयां समिति के संज्ञानार्थ निम्नानुसार प्रस्तुत हैं ।

कई परीक्षा केन्द्रों द्वारा मानदेय की दरों के अवलोकन के बाद परीक्षा सामग्री लेने के लिये मना कर दिया गया लेकिन सूचना मिलने पर इन परीक्षा केन्द्रों से अनुरोध किया गया कि यह प्रकरण आगामी परीक्षा समिति के संज्ञान में लाया जायेगा। अतः विश्वविद्यालय को परीक्षा सम्पादन में सहयोग प्रदान करें तथा परीक्षा की व्यवस्था सम्पन्न करायें। इस पर बड़े अनमने मन से विश्वविद्यालय की परीक्षा सामग्री को स्वीकार किया गया। इन आपत्तियों के कारण निम्न हैं।–

1. दूरस्थ शिक्षा पद्धति प्रक्रिया के अन्तर्गत विश्वविद्यालय को क्षेत्र में स्थित विद्यालयों/महाविद्यालयों की सुविधा के अनुकूल स्थितियों में ही परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु सहयोग के लिये निवेदन किया जा सकता है।
2. कोई भी विद्यालय/महाविद्यालय अपनी दैनादिनी प्रक्रिया को इन परीक्षाओं का अतिरिक्त कार्य स्वीकार कर प्रभावित नहीं करना चाहता है।

3. इन परीक्षाओं के सम्पादन हेतु महाविद्यालयों/विद्यालयों पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमान्तर्गत दबाव नहीं बनाया जा सकता है।

4. अन्य अल्पकालिक समय में जो परीक्षायें अन्य एजेन्सियों द्वारा सम्पादित कराई जाती हैं उनके द्वारा मानदेय की अच्छी राशि परीक्षा केन्द्रों को परीक्षा सम्पादनार्थ उपलब्ध कराई जाती है।

5. विश्वविद्यालय की परीक्षायें लम्बे समय तक निर्धारित सत्रों में आयोजित करनी [illegible] जिससे विद्यालय/महाविद्यालय का सामान्य कार्य प्रभावित रहता है।

6. विश्वविद्यालय की पूर्व निर्धारित मानदेय की दरें वर्तमान समय से अधिक थी जिन्हें 1.10.2010 की बैठक में कर दिया गया था।

इन सब कारणों से विद्यालय/महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के सम्पादन में कोई रूचि नहीं दिखाते है। उपर्युक्त कारणों की आड़ में मानदेय का प्रत्यक्ष आधार परीक्षाओं के संचालन में विश्वविद्यालय को असुविधाओ का कारण बनता है। यह असुविधा प्रतिवर्ष छात्र संख्या में वृद्धि होने पर बढ़ती जायेगी, ऐसी सम्भावना है :-

अतः परीक्षा कार्य में संलग्न प्राध्यापकों/कर्मचारियों को पूर्व स्वीकृत दरों के अतिरिक्त वृद्धि पर निम्नानुसार प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किया जा रहा है।

(क) 1 केन्द्राध्यक्ष एवं सहायक केन्द्राध्यक्ष को रू0 50/– पूर्व स्वीकृति पारिश्रमिक के अतिरिक्त

2 कक्ष निरीक्षकों को रू0 20/– पूर्व स्वीकृत पारिश्रमिक के अतिरिक्त।

3 तृतीय श्रेणी कर्मचारी को रू0 20/– पूर्व स्वीकृत पारिश्रमिक के अतिरिक्त।

4 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को रू0 10 पूर्व स्वीकृत पारिश्रमिक के अतिरिक्त।

(ख) सहायक केन्द्राध्यक्षों की संख्या के निर्धारण के लिए छात्र संख्या 100 तक एक तथा 200 तक 2 तथा 200 से अधिक छात्र संख्या पर 3 की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है। सहायक केन्द्राध्यक्ष परीक्षाओं के दौरान आन्तरिक उड़नदस्ते का उत्तरदायित्व भी निर्वहन करेंगे।

(ग) छात्र संख्या 100 तक एक 200 तक 2 तथा 300 से अधिक संख्या पर 3 तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षाओं के दौरान परीक्षा केन्द्र पर नियोजित करने के स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत है।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित कई परीक्षा केन्दों द्वारा केन्द्र व्यय के रूप मे जिसमें परीक्षा केन्द्र का बिजली व्यय/पानी का व्यय तथा परीक्षा केन्द्र की साज–सज्जा के प्रयोग हेतु एक निर्धारित धनराशि की मांग वर्तमान परीक्षाओं के दौरान की गई है।

समिति के संज्ञानार्थ एवं विचारार्थ सहमति की दशा में रू0 50/– प्रति कक्ष (प्रयुक्त कक्षों के आधार पर) तथा रू0 100/– बड़े हाल का प्रतिदिन निर्धारित करने पर विचार हेतु प्रस्तुत।

(ङ) सत्रांत परीक्षाओं के दौरान कई परीक्षा केन्द्रों द्वारा बिजली आपूर्ति न होने की दशा में जनरेटर की भी मांग की जा सकती है। अतः ऐसे पकरणों पर मांग के

आधार पर निर्णय लेने हेतु कुलपति जी को अधिकृत करने के सम्बन्ध में विचारार्थ प्रस्तुत।

निर्णय :–

(क) प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मत व्यक्त कियागया कि अन्य मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा मानदेय की दरों को प्राप्त कर लिया जाय तथा उस पर विश्वविद्यालय की निम्न समिति द्वारा विचारोपरान्त वित्तीय उपासय होने के कारण वित्त समिति की संस्तुति के उपरान्त कार्य परिषद से अनुमति प्राप्त कर ली जाय।

1. प्रो0 जे0 के0 जोशी
2. प्रो0 एच0 सी0 शुक्ल
3. डा0 आर0के0 गुप्त

(ख) उपर्युक्त बिन्दु न0 (ड़) पर फिलहाल प्रति के0वी0ए0 की दर से जो भुगतान बैंको के द्वारा किये जा रहे है, बैंको से सूचना लेकर आवश्यकता के अनुरूप कार्यवाही कर ली जाय।

मद संख्या – 09

केन्द्रीय कार्यालय से बाहर के नगरों में मूल्यांकन हेतु निर्धारित केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्रों के नियुक्त समन्वयकों को मानदेय देने पर विचार।

निर्णय :–

प्रस्ताव पर विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त मत व्यक्त किया गया कि यथा सम्भव मूल्यांकन मुख्यालय पर ही कराया जाय परन्तु यदि विशेष कारणों से किसी अन्य स्थल पर मूल्यांकन कराया जाता है अथवा कोई अन्य प्रक्रिया अपनायी जाती है तो इस सम्बन्ध में कुलपति को निर्णय हेतु अधिकृत किया जाता है।

समिति की बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त समाप्त हुई।

परीक्षा नियंत्रक